भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, 27, कैलाश बिहार, निर्भय नगर, आगरा– 282007 द्वारा आगरा–इटावा सैक्शन के राष्ट्रीय राजमार्ग–2 (वर्तमान में 4 लेन) को छः लेन चौड़ीकरण, उच्चीकरण/ सुदृढ़ीकरण एवं फिरोजाबाद बाईपास के निर्माण हेतु प्रस्तुत लोक पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव के कम में जनपद फिरोजाबाद के राष्ट्रीय राजमार्ग–2 के कि0मी0 218.000 से कि0मी0 288.000 हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, फिरोजाबाद द्वारा नामित नगर मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद की अध्यक्षता में दिनांक 12.03.12 को कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष, फिरोजाबाद में सम्पन्न हुयी लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

आगरा– इटावा सैक्शन के राष्ट्रीय राजमार्ग–2 को छः लेन चौड़ीकरण उच्चीकरण/ सुदृढ़ीकरण एवं फिरोजाबाद वाईपास के निर्माण कार्य के अर्न्तगत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, 27, कैलाश बिहार, निर्भय नगर, आगरा द्वारा जनपद– फिरोजाबाद के राष्ट्रीय राजमार्ग–2 के कि0मी0 218.000 से कि0मी0 288.000 को छः लेन चौड़ीकरण, उच्चीकरण/ सुदृढ़ीकरण एवं फिरोजाबाद बाईपास के निर्माण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, 27, कैलाश बिहार, निर्भय नगर, आगरा द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के सम्बन्ध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सं0 एस0ओ0 1533 दिनांक 14 सितम्बर, 2006 (यथा संशोधित) में वर्णित प्राविधानों के तहत लोक सुनवाई जिलाधिकारी महोदय, फिरोजाबाद द्वारा नामित नगर मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष, फिरोजाबाद में दिनांक 12.03.12 को दोपहर 1:00 बजे प्रारम्भ हुई। लोक सुनवाई की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रारम्भ की गयी।

1. सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, फिरोजाबाद द्वारा लोक सुनवाई पर संक्षिप्त प्रकाश डालते हुए अवगत कराया गया कि पर्यावरण एवं वन मत्रांलय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सख्या एस0ओ0 1533 दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के उच्चीकरण/ सुदृढ़ीकरण/ विस्तारीकरण किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव लोक सुनवाई प्रक्रिया के अर्न्तगत आच्छादित है।
2. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सख्या एस0ओ0 1533 दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के अनुसार लोक सुनवाई के सम्बन्ध में विज्ञप्ति उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 09.02.2012 को दैनिक समाचर पत्रों दैनिक अमर उजाला एवं हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित की गयी थी तथा आक्षेप/ सुझाव / आपत्ति विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर आमंत्रित किए गये थे। उक्त निर्धारित अवधि में कोई आक्षेप/ सुझाव / आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी है।
3. लोक सुनवाई की कार्यवाही को आगे बढाते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, 27, कैलाश बिहार, निर्भय नगर, आगरा के सलाहकार प्रतिनिधि श्री विनोद कुमार गौतम, एनवायरमेन्ट कन्सलटेन्ट द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग–2 के छः लेन चौड़ीकरण उच्चीकरण/ सुदृढ़ीकरण एवं फिरोजाबाद बाईपास के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश ड़ाला गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि आगरा– इटावा सैक्शन के राष्ट्रीय राज़मार्ग–2 के अर्न्तगत जनपद– फिरोजाबाद के कि0मी0 218.000 से कि0मी0 288.000 को छः लेन चौड़ीकरण, उच्चीकरण/ सुदृढ़ीकरण करने तथा फिरोजाबाद बाईपास के निर्माण सम्बन्धी निर्माण कार्य किये जाने का प्रस्ताव है। जनपद फिरोजाबाद से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग–2 के कि0मी0 218.000 से कि0मी0 288.000 (कुल लम्बाई 70 कि0मी0) के अर्न्तगत ग्राम–सितौली से ग्राम–बछेला बछेली तक राष्ट्रीय राजमार्ग–2 का छः लेन सड़क चौड़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है उक्त सेक्शन के अर्न्तगत 55 कलवर्ट, 10 अण्डर पास, 13 पैदल/पशुपार पथ (अण्डर पास) 3 मुख्य मिलान स्थल (जंक्शन), 87 छोटे मिलान स्थल (जंक्शन), 7 बस वे एवं 7 स्थानों पर 20.148 कि0मी0 लम्बाई का सर्विस रोड आदि का निर्माण प्रस्तावित है। जनपद फिरोजाबाद के अर्न्तगत फिरोजाबाद बाईपास का निर्माण कि0मी0 232.620 (ग्राम जरौली कलॉ) से प्रारम्भ होकर से कि0मी0 252.250 (ग्राम इन्दुमई) पर समाप्त करते हुए किया जाना भी प्रस्तावित है। जनपद फिरोजाबाद के अर्न्तगत प्रस्तावित वाईपास ग्राम जरौली कलॉ, अलीनगर केंजरा, बैंदी, पचवान, मुईनुद्दीनपुर, कुतुबपुर चनौरा, नैपई, सांथी, गढ़िया शिकमी, बनीपुरा, लालई, घुनपई, संदलपुर, बिल्टीगढ देवजीत, मक्खनपुर बिल्टीगढ़ राधैल, इन्दुमई आदि ग्रामों से होकर निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित परियोजना की कुल अनुमानित लागत रू0 953.3 करोड़ है जबकि फिरोजाबाद जिले के अन्तर्गत निर्माण कार्य (सिविल) पर अनुमानित लागत रू0 539.02 करोड़ है। उक्त के अतिरिक्त पर्यावरण प्रबन्धन हेतु कुल परियोजना पर रू0 6.6 करोड़ के बजट का प्राविधान है जिसमें फिरोजाबाद जिले के लिए रू0 3.0 करोड़ के बजट का प्राविधान है। जनपद फिरोजाबाद के अर्न्तगत कुल 149.5985 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है। अधिग्रहीत भूमि के लिए उपयुक्त मुआवजा नियमानुसार दिया जाना प्रस्तावित है। सड़क का आंशिक भाग ताज प्रतिबन्धित

....2 पर

सीमा केअन्दर आता है। ताज प्रतिबन्धित सीमा के अर्न्तगत प्रस्तावित सड़क निर्माण में ताज ट्रेपेजियम जोन हेतु निर्धारित मानकों / नियमों आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना प्रस्तावित है। राष्ट्रीय राज मार्ग के निर्माण हेतु हाट मिक्स प्लाण्ट की स्थापना ताज प्रतिबन्धित सीमा के बाहर किया जाना प्रस्तावित है तथा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना भी प्रस्तावित हैं।

4. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, 27, कैलाश बिहार, निर्भय नगर, आगरा के प्रतिनिधि द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग – 2 के छः लेन चौड़ीकरण उच्चीकरण/ सुदृढ़ीकरण एवं फिराजाबाद बाईपास निर्माण के दौरान जनपद फिरोजाबाद में लगभग 881 वृक्ष प्रभावित होना अवगत कराया गया जिसके अर्न्तगत नीम, नीलगिरी, बबूल आदि है। यह भी अवगत कराया गया कि कम से कम वृक्षों को काटा जाना प्रावधानित है। आवश्यकतानुसार काटे गये वृक्षों के सापेक्ष नियमानुसार सड़क के दोनों ओर वृक्षारोपण किया जाऐगा। सड़को के किनारे सुन्दर बनाने, तिराहो–चौराहो एवं पार्किगं क्षेत्रों में सुधार करने, बॉरो एरिया में वृक्षारोपण करने समस्त सम्बन्धित विभागों से अनुमतियॉ प्राप्त करने को प्रावधानित किया गया है।

5. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, 27, कैलाश बिहार, निर्भय नगर, आगरा के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग–2 के छः लेन चौड़ीकरण, उच्चीकरण/ सुदृढ़ीकरण एवं फिरोजाबाद बाईपास निर्माण के दौरान सुरक्षा उपायों, संकेतकों आदि का प्राविधान है। उक्त परियोजना के निर्माण कार्य के दौरान निम्नलिखित प्रकार की समस्यायें आने एवं उनके निराकरण सम्बन्धी निम्नलिखित प्राविधान किये गये है।

क. **<u>जल पर्यावरण एवं प्रदूषण</u>** :– प्रस्तावित परियोजना को जल श्रोत के क्रम में मैदानी क्षेत्र, एल्यूवियम, समतल, पैनीसुला क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। जल के प्रमुख श्रोत नदी, नहर, तालाब एवं हैण्ड पम्प है। राजकीय राजमार्ग के उच्चीकरण / सुदृढ़ीकरण के दौरान जल की आवश्यकता होगी। परियोजना निर्माण के दौरान पुल, सेतुबन्ध आदि का काम पानी के सीधे बहाव में नहीं किया जाना प्रस्तावित है। जल प्रयोग से जिस जगह पर भू जल प्रभावित हो रहा है वहॉ के निवासियों के लिए वैकल्पिक पानी की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव के कारण सरफेस जल एवं भूमिगत जल पर किसी भी प्रकार का प्रभाव पड़ना सम्भावित नहीं है।

ख. **<u>वायु पर्यावरण एवं प्रदूषण</u>** :– परियोजना के निर्माण प्रकिया के दौरान उपकरण व वाहनों के आवागमन, निर्माण के दौरान धूल की उत्पत्ति ही वायु प्रदूषण के श्रोत है। उपरोक्त वायु प्रदूषण श्रोतो से उत्पन्न धूल की रोकथाम हेतु निर्माण कार्यक्षेत्र को यथा सम्भव नम रखे जाने, पानी का छिड़काव किये जाने, निर्माण सामग्री को ले जाते समय ट्रक, टारपोलिन या अन्य किसी उपयुक्त सामग्री से कवर किए जाने, पी0यू0सी0 सर्टिफिकेट वाले वाहनों का प्रयोग किए जाने तथा हाट मिक्स एवं जनरेटर की स्थापना राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही स्थापित करने का प्राविधान है। उक्त के अतिरिक्त यथा सम्भव परिवेशीय वायु गुणता को नियन्त्रित करने हेतु परियोजना के आस–पास वृक्षारोपण करने, वाहनों का संचालन मानकों के अनुरूप कराने एवं अन्य उपायों को किये जाने का प्राविधान है। अतः उक्त परियोजना से प्रदूषण नगण्य होगा।

ग. **<u>मृदा प्रदूषण</u>** :– परियोजना के निर्माण प्रकिया के दौरान मृदा प्रदूषण की सम्भावना नगण्य होगा।

घ. **<u>ध्वनि प्रदूषण</u>** :– वाहनों के आवागमन, निर्माण मशीनरी, कान्क्रीट एवं डावर प्लाण्ट एवं जनरेटर आदि उपकरणों के संचालन से ध्वनि प्रदूषण होना सम्भावित है। ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु डी0जी0 सेट को एकास्टिक के साथ लगाया जाना प्रस्तावित है तथा अन्य उपकरणों का संचालन एवं वाहनों का रख रखाव इस प्रकार से किया जाना प्रस्तावित है कि ध्वनि स्तर मानकों के अनुरूप रहेगा। निर्माण कार्य में लगे वाहनों एवं उपकरणों में एक्जास्ट साइलेन्सर लगाना, आबादी क्षेत्र में निर्माण कार्य रात 10 से सुबह 6 बजे तक बन्द रखना, कार्यरत कार्मिकों को ईयर प्लग उपलब्ध कराना, चुनिन्दा स्थानों पर ध्वनि बैरियर लगाना, संवेदनशील स्थानों पर सिग्नल लगाना, शान्त क्षेत्रों में हार्न का प्रयोग प्रतिबन्धित किए जाने आदि का प्राविधान है। अतः ध्वनि प्रदूषण नगण्य होगा।

.....3 पर

ड़ **सामाजिक एवं आर्थिक पर्यावरण** :– परियोजना के निर्माण प्रकिया के दौरान जनपद फिरोजाबाद में 149.5985 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है। जनपद फिरोजाबाद के अर्न्तगत प्रभावित होने वाले 168 निजी संरचना / परिवार प्रभावित हो सकते है। अधिग्रहित भूमि के लिए उपयुक्त मुआवजा नियमानुसार दिया जाना प्रस्तावित है। उपजाऊ मिट्टी एवं कृषि क्षेत्र का प्रयोग, कैम्प, स्टाक, यार्ड एवं गोदाम आदि बनाने हेतु नहीं किया जाएगा। भू–क्षरण रोकने हेतु मिट्टी का ढाल के रूप रखना, एम्बैकमेण्ट स्लोप में टर्फिगं करना, बॉरो एरिया का उपयोग वृक्षारोपण करने का प्राविधान, वर्कशाप, ईधन / लुब्रीकेण्ट भण्डारण, लेबर कैम्प को आबादी क्षेत्र से बाहर रखने आदि का प्राविधान रखा गया है। सड़क निर्माण में खोदी गयी चट्टान व अन्य सालिड वेस्ट के रूप में प्राप्त सामग्री का इस्तेमाल निचली सतह भरने आदि में प्रयोग किया जाना प्रावधानित है। पर्यावरण प्रबन्धन के सम्बन्ध में मानकों के अनुरूप समय – समय पर कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त परियोजना से बेहतर परिचालन समस्त क्षेत्रों में पहुँच के साथ–साथ आस पास के क्षेत्र के समग्र विकास में सहायक होगी।

उक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के दौरान आस–पास प्रस्तावित परियोजना में पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के बचाव हेतु चारों तरफ हरित पट्टिका का विकास किया जाएगा। जिससे प्रस्तावित परियोजना से पर्यावरण पर न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव पड़े। उपरोक्त परियोजना से बेहतर परिचालन समस्त क्षेत्रों में पहुँच के साथ–साथ आस पास के क्षेत्र के समग्र विकास में सहायक होगी।

अन्त में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, 27, कैलाश बिहार, निर्भय नगर, आगरा के प्रतिनिधियों द्वारा लोक सुनवाई में प्रतिभाग कर रहे जन समुदाय द्वारा उक्त परियोजना की स्थापना से आस–पास के विभिन्न पर्यावरणीय घटकों के ऊपर पड़ने वाले अधि प्रभावों के सम्बन्ध में उठाये गयं प्रश्नों / समस्याओं के निराकरण हेतु परियोजना में प्रस्तावित व्यवस्थाओं इत्यादि के बारे में उत्तर दिया गया जिसका विवरण निम्नवत् है:–

प्र0 1 श्री भूपेन्द्र शर्मा, एडवोकेट, 229/4, महावीर नगर, फिरोजाबाद द्वारा जानकारी चाही गयी कि वाई पास का निर्माण कहॉ से कहॉ तक किया जाएगा ?

उ0 एन0 एच0 ए0 आई0 के प्रतिनिधि द्वारा उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि कि0मी0 232.620 (ग्राम जरौली कलॉ) से प्रारम्भ होकर से कि0मी0 252.250 (ग्राम इन्दुमई) पर समाप्त करते हुए किया जाना भी प्रस्तावित है। उक्त प्रस्तावित वाईपास ग्राम जरौली कलॉ, अलीनगर केंजरा, बैंदी, पचवान, मुईनुद्दीनपुर, कुतुबपुर चनौरा, नैपई, सांथी, गढिया शिकमी, बनीपुरा, लालई, घुनपई, संदलपुर, बिल्टीगढ देवजीत, मक्खनपुर बिल्टीगढ़ राघैल, इन्दुमई आदि ग्रामों से होकर गुजरेगा।

प्र0 2 श्री जितेन्द्र कुमार, मेन रोड, टूण्डला फिरोजाबाद द्वारा जानकारी चाही गयी कि वाई पास निर्माण हेतु टूण्डला में कितनी जगह का अधिग्रहण किया जाएगा ?

उ0 एन0 एच0 ए0 आई0 के प्रतिनिधि द्वारा उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि फ्लाई ओवर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। सर्विस रोड का चौडीकरण किया जाना प्रस्तावित है जिस हेतु भूमि का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

प्र0 3 श्री सचिन, टूण्डला, फिरोजाबाद द्वारा जानकारी चाही गयी कि वरसात के जल हेतु निकासी हेतु क्या प्राविधान किये गये है ?

उ0 एन0 एच0 ए0 आई0 के प्रतिनिधि द्वारा उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि वरसात के जल हेतु निकासी हेतु ड्रेन निर्माण किये जाने का प्राविधान किया गया है।

प्र0 4 श्री विमल, सुहाग नगर, फिरोजाबाद द्वारा जानकारी चाही गयी कि सड़क निर्माण के दौरान उड़ने वाली धूल मिट्टी के सम्बन्ध में क्या प्राविधान किये गये है ?

उ0 एन0 एच0 ए0 आई0 के प्रतिनिधि द्वारा उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि सड़क निर्माण के दौरान उड़ने वाली धूल मिट्टी पानी की रोकथाम हेतु जल छिड़काव किया जाना प्रस्तावित है। कूड़े कचरे का उचित निस्तारण किया जाएगा।

अन्त में नगर मजिस्ट्रेट महोदय, फिरोजाबाद द्वारा उपस्थित जन समूह के प्रति आभार ज्ञापित करते हुए लोक सुनवाई के समापन की घोषणा की गयी।

12.3.12

(राजेन्द्र प्रसाद)
क्षेत्रीय अधिकारी

(ए0 के0 अवस्थी)
नगर मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद